मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बैंच

7388. **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक बैंच मेरठ में स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Views of Chief Justice of India on Present Methods and Procedures to get Justice

7391. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the views expressed by the Chief Justice of India in the issue of the States dated the 21st March, 1970, published from Delhi ;

(b) if so, whether Government consider overhauling the present methods and procedures to get justice ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) Government have seen the Press Report.

(b) and (c). The Law Commisson has suggested certain specific amendments to the Code of Civil Procedure, 1908, in its Twenty-Seventh Report which are directed towards eliminating or minimising delay in civil litigation and thereby reducing costs. A Bill further to amend that Code for giving effect to those amendments is now pending before the Joint Select Committee of both Houses of Parliament. The Report of the Committee is awaited.

The Code of Criminal Procedure has been examined recently in detail by the Law Commission and the recommendations made in its Forty-First Report are being examined in consultation with the State Governments.

पाकिस्तानी जासूस लड़की का भारतीय सेना के एक अधिकारी के साथ पकड़ा जाना

7392. **श्री रमेश चन्द्र व्यास :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 मार्च, 1970 को हुसैनीवाला सीमा क्षेत्र में एक पकिस्तानी लड़की एक भारतीय अधिकारी के साथ पकड़ी गई थी ;

(ख) क्या उक्त अधिकारी सेना में अधिकारी था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त अधिकारी के खिलाफ सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). एक पाकिस्तानी नागरिक मिस मलिक सुलताना 19-3-1970 को हुसैनीवाला सीमा क्षेत्र में पकड़ी गई । चूंकि उसके यात्रा पत्र नियमानुकूल नहीं थे अत: विदेशियों के लिये अधिनियम की धारा 14 के अधीन उसे गिरफ्तार किया गया और 8-4-70 को 7 दिन की कड़ी सजा दी गई । 14 अप्रैल को उसे जेल से रिहा कर दिया गया और उसी दिन पाकिस्तान निर्वासित कर दिया गया । यह सही नहीं है कि वह सशस्त्र सेना या किसी सिविल सेवा के किसी भारतीय अधिकारी के साथ पकड़ी गई थी । अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।